न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 49/2020 अपील/प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 08.06.2020
निर्णय दिनांक– 04.09.2020

1. श्री देवजी पिता गनजी जाति मीणा, निवासी लुहारिया, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री रखिया पिता चौखा मीणा, निवासी लुहारिया, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री देवली पत्नि रखिया मीणा, निवासी लुहारिया, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री कमलेश दाणी : अधिवक्ता अपीलान्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 09/2009 निर्णय दिनांक 26.03.2014

निर्णय

दिनांक–04.09.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 09/2009 निर्णय दिनांक 26.03.2014 के विरूद्ध दिनांक 24.06.2014 को मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़, कैम्प प्रतापगढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में

पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 17.02.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 08.06.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा लुहारिया, तहसील प्रतापगढ़ की आराजी नम्बर 627 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि वाके मिसल संख्या 105/06 भूमि आवंटन प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 18.02.2006 से रेस्पोडेंट को आवंटन की गई है। उक्त आवंटन के क्रम में अपीलांट द्वारा एवक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत सुदृढ़ तथ्यों पर पेश कर रेस्पोडेंट को किये गये आवंटन को निरस्त करने का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त नही कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र जरिये प्रकरण संख्या 09/2009 दिनांक 26.03.2014 से निरस्त कर दिये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है *"बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र 14(4) दिनांक 07.03.2008, प्रमाणित प्रति मिसल नम्बर 105 फैसला दिनांक 18.02.2006, आवंटन रूक्का दिनांक 04.05.2006, नकल नामांतरण 01/20.12.2006, रिपोर्ट तहसीलदार, प्रतापगढ़ दिनांक 04.07.2013, नकल जमाबंदी संवत 2066–2069, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2066–2069 के साथ–साथ अन्य दस्तावेजों का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।*

उपरोक्त संपूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आक्षेपित आवंटन आदेश दिनांक 18.02.2006 के संबंध में अथवा आंवटित भूमि पर प्रार्थी के कब्जे–काश्त के संबंध में कोई सक्षम एवं सटिक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराये गये है तथा तहसीलदार, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 04.07.2013 के साथ संलग्न खसरा गिरदावरी संवत् 2066–2069 में वर्णितानुसार अप्रार्थी/आवंटी द्वारा संपूर्ण रकबा क्षेत्र 1.08 हैक्टेयर भूमि पर मक्का एवं सोया कि काश्त किया जाना दर्शित है। यद्यपि मौका रिपोर्ट में आवंटित रकबा क्षेत्र के कुछ भाग पर प्रार्थी का कब्जा होना भी जाहिर किया गया

है, परन्तु खसरा गिरदावरी रिपोर्ट में संपूर्ण रकबे पर अप्रार्थी/आवंटी द्वारा काश्त किया जाना स्पष्ट है। किसी भी आवंटनशुदा गैर खातेदारी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का अनाधिकृत कब्जा होना आवंटन आदेश को निरस्त करने का सक्षम कारण नहीं माना जा सकता है (अर्थात राजस्थान भू–राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के आवंटन नियमों/शर्तो के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता) जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी बिन्दु पर सिद्ध योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वतः निरस्त योग्य होने से खारिज किया जाता है तथा आवंटन आदेश मिसल नम्बर 105 दिनांक 18.02.2006 को यथावत बहाल रखा जाता है, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश दाणी उपस्थित व रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्ता की बहस दिनांक 27.08.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि आवंटित भूमि पर अपीलांट का लगातार कब्जा–काश्त रहते हुए भी आवंटन प्राधिकारी द्वारा अन्य व्यक्ति को आवंटन किया जाना अनुचित रहा है, एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन शर्तो की पालना परिपुर्ण कियो बिना ही आवंटन आदेश पारित किया जो प्रारंभ से शून्य करार है, तथा उक्त आवंटित भूमि पर आदिनांक तक अपीलांट का कब्जा बरकरार है। इसके संबंध में तहसीलदार, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.07.2014 अवलोकनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.03.2014 को किया गया है तथा यह

अपील अपीलीय न्यायालय में दिनांक 24.06.2014 को प्रस्तुत हुई है। अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन में उसे अधिवक्ता द्वारा तारीख पेशी देने में टालम टुल करने एवं निर्णय की जानकारी नहीं देने के कारण अपील विलम्ब से पेश करने का निवेदन किया है। ताइद में शपथ–पत्र भी दिया है। अत्यल्प विलम्ब, न्यायहित एवं अखण्डित शपथ–पत्र के आधार पर मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपील मेमो, बहस व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया तथा यह पाया कि आराजी नं0 627 रकबा 1.08 हैक्टेयर का रेस्पोंडेण्ट को आवंटन भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18.02.2006 को किया गया है। उक्त आवंटन को अविधिक होने का आधार अपीलाण्ट प्रमुख रूप से इस भूमि पर अपना अतिक्रमण होना/कब्जा होना बताता है। प्रकरण में वर्ष 2006 में आवंटन के बाद अपीलांट को अतिक्रमी के रूप में मान्यता दिये जाने की कोई विधिक उपादेयता नहीं है। अपीलांट का यह अन्य उजर है कि रेस्पोडेंट संख्या–2 के हस्ताक्षर नही है। यह उजर मान्य नही है क्योंकि राज्य सरकार के आदेशानुसार महिला सशक्तिकरण के लिए आवंटी के पुरूष होने पर उसकी पत्नि का नाम साथ दर्ज किये जाने के सक्षम आदेश जारी किये हुए है। आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य वे सदस्य नही हो इस हेतु भी कोई साक्ष्य अथवा उनके सदस्य नही होने का कोई तर्क मान्य नही है। उद्घोषणा नही होने की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है।

विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि अतिक्रमी राजकीय भूमि पर कोई Locus Standi नहीं होता जब तक कि उक्त अतिक्रमण के निर्णय में उसे आवंटन की पात्रता इत्यादि का विश्लेषण करते हुए कोई नियमन का आदेश/अनुशंषा उसके पक्ष में उपलब्ध नहीं हो। इस प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में मौका कब्जा रिपोर्टों का भी कोई महत्व नहीं है क्योंकि विधिक आवंटी की तुलना में यदि उसकी आवंटित विधिक अधिकारों वाली भूमि पर यदि बाद आवंटन यदि किसी अन्य ने कब्जा कर भी लिया है तो वह कब्जा अतिक्रमी के रूप में है जिससे विधिक आवंटन के बरूए तवज्जों नहीं दी जा सकती, न ही उसे विधिक कहा जा सकता है।

उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन के बाद अपीलाण्ट प्रार्थी का आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन खारिज किये जाने में किसी प्रकार के तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है। अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खाारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर